BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 25 जनवरी, 2025 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** थाना सिकन्द्राबाद

शातिर बदमाश के साथ थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व 01 स्विफ्ट गाडी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम गस्त व वांछित अभियुक्तों की तलाश में ग्राम कांवरा रोड पर गस्त कर रही थी कि तभी ग्राम कांवरा की तरफ से एक गाडी तेजी से आती दिखायी दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाडी चालक द्वारा गाडी को रोककर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1. राजीव शर्मा पुत्र मनुदत्त शर्मा निवासी ग्राम रोनी उर्फ सलोनी थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं, जिसको उपचार हेतु सीएचसी सिकन्द्राबाद में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुए है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 24.01.2025 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत गुलावठी रोड स्थित चिकन कार्नर पर अवैध असलहा से जाने से मारने की नियत से फायरिंग की घटना कारित गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 74/25 धारा 109(1),352,351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 07 क्रि0ला0 एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राजीव शर्मा पुत्र मनुदत्त शर्मा निवासी ग्राम रोनी उर्फ सलोनी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 पिस्टल मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 32 बोर

2- 01 स्विफ्ट गाडी नं0-UP-16CU-9553

अभियुक्त राजीव शर्मा का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-283/20 धारा 323,354ख,452,504,506 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-470/21 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं- 471/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं- 379/24 धारा 351(2),352 बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं 74/25 धारा 109(1),352,351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 07 क्रि0ला0 एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

6- मुअसं 75/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 75/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।

2- उ0नि0 कपिल बालियान, उ0नि0 अखिलेश कुमार

3- है0का0 विनित कुमार, है0का0 देवेन्द्र सिंह

मीडिया सेल बुलंदशहर